LL.B.6Sem.(C.P.C.)

Sec.10 Stay of Suit.

By- Banshlochan Prasad.

Scanned with CamScanner

धारा 10. <u>वाद का स्थगन या वाद का रोका जाना</u> –

<u>सुसंगत प्रावधान</u> – सिविल प्रक्रिया संहिता की **धारा 10** में प्रांग न्याय का सिद्धांत दिया गया है जिसका तात्पर्य है **"वादों का स्थगन"** |

<u>प्रावधानों की प्रकृति</u> – धारा 10 आज्ञापक प्रकृति की है क्योंकि **धारा 10** में निम्नलिखित शब्द प्रयोग किया गया है - **"No court shall proceed"**

मनोहर लाल चोपड़ा बनाम रामबहादुर राव के मामले में **उच्चतम न्यायालय** ने अभिनिर्धारित किया है कि **धारा 10** के प्रावधान आज्ञापक है और न्यायालय इसमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता |

<u>उपबंध का क्षेत्र</u> – धारा 10 केवल वादों के सन्दर्भ में लागू होता है |

<u>उद्देश्य</u> – धारा 10 के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. वादों की बहुलता को रोकना

2. न्यायालयों के निर्णय को विरोध की स्थिति से बचाना और प्रांग न्याय के सिद्धांत को प्रभावी बनाना|

<u>धारा 10 कब लागू होगी</u> – गौरी बाला दत्त बनाम तृतीय अतिरिक्त सिविल जज, वाराणसी के मामले में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने स्पष्ट किया है कि **धारा 10** तब लागू होगी जब किसी पूर्ववर्ती वाद में दिया गया निर्णय पश्चातवर्ती वाद पर प्रांग न्याय का प्रभाव रखता हो |

Scanned with CamScanner

<u>आवश्यक शर्तें</u> – धारा 10 के लागू होने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है –

1. दो वाद होने चाहिए

a. पूर्ववर्ती वाद

b. पश्चातवर्ती वाद

2. पश्चातवर्ती वाद में जो विवादग्रस्त तथ्य है वही होना चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष रूप से और सारवान रूप से विवादग्रस्त हो |

राधिका कोनेल पारिख बनाम कोनेल पारिख के मामले में पति तथा पत्नी ने बच्चे के अभिरक्षा का वाद दायर किया, पूर्ववर्ती वाद पति द्वारा तथा पश्चातवर्ती वाद पत्नी द्वारा दायर किया गया | अतः यह कहा गया कि पत्नी द्वारा दायर किये गये वाद में पश्चातवर्ती वाद का मामला प्रत्यक्षतः और सारतः पूर्ववर्ती वाद के समान है अतः पश्चातवर्ती वाद का विचारण विचाराधीन न्यायालय द्वारा बाधित है |

3. दोनों वादों के पक्षकार समान होने चाहिए

4. उसी हक़ के अधीन वाद संस्थित किया गया हो जिस हक़ के अधीन पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया गया था

5. पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहने के दौरान दूसरा वाद –

a. या तो उसी न्यायालय में लाया गया हो, या

b. किसी दूसरे न्यायालय में लाया गया हो,

Scanned with CamScanner

c. भारत से बाहर किसी ऐसे न्यायालय में लाया गया हो जो भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन नियंत्रित हो या चलाया जा रहा हो,

d. उच्चतम न्यायालय में लाया गया हो,

किन्तु उपरोक्त न्यायालय को अनुतोष देने के सन्दर्भ में उसी क्षमता का होना आवश्यक है जो इस न्यायालय को प्राप्त हो, जिसमे पूर्ववर्ती वाद संस्थित किया गया है।

पक्षकारों की समानता – इस धारा के प्रावधानों के लागू होने के हेतु इतना काफी है कि पक्षकारों में समानता हो। दोनों वादों में पक्षकारों का वही होना आवश्यक नहीं है।

विषय-वस्तु का समान होना – यह कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों वादों में विषय-वस्तु और विवाद्य-वस्तु में सभी प्रकार से समानता हो। यही पर्याप्त है कि दोनों वादों में विवाद-विषय सारतः वही हो।

वाद का लंबित होना – इस धारा के प्रावधान को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती संस्थित वाद लंबित होना चाहिए। जहां एक वाद में निर्णय तो हो गया है किन्तु डिक्री या आज्ञप्ति नहीं बनाई गयी है वहां यह निर्णय दिया गया है कि वाद लंबित माना जाएगा।

जहां दो पक्षकारों द्वारा दो प्रतीप वाद संस्थित किये गये है, एक विवाह के अकृतता के लिए और दूसरा विवाह-विच्छेद के लिए, वहां विवाह की अकृतता सम्बन्धी वाद का विचारण पहले होगा।

अपील – धारा 10 के अंतर्गत पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा आदेश न तो आज्ञप्ति के

Scanned with CamScanner

अपील – **धारा 10** के अंतर्गत पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा आदेश न तो आज्ञप्ति के श्रेणी में आता है और न ही अपील योग्य आदेशों की सूची में आता है।

पुनरीक्षण – **धारा 10** के अंतर्गत पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

धारा 10 का अपवाद –

1. **विदेशी न्यायालय में लंबित वाद** – विदेशी न्यायालय में लंबित वाद को पूर्व संस्थित वाद नहीं कहा जा सकता। अतः भारत में न्यायालय उसी वाद हेतुक पर आधारित वाद के विचारण से वंचित नहीं है।

2. **समरी वाद** – समरी वाद भी **धारा 10** के अपवाद कहे जाते हैं क्योंकि एक समरी वाद में विचारण का प्रारम्भ वास्तव में तब होता है जब न्यायालय प्रतिवादी को वाद का प्रतिविरोध करने की अनुमति प्रदान करता है।

3. **अंतरिम आदेश** – विचाराधीन न्याय का नियम न्यायालय की अंतरिम आदेश **जैसे** - स्थगन, व्यादेश, निर्णय से पूर्व कुर्की, रिसीवर की नियुक्ति आदि को पारित करने की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में यह न्यायिक प्रक्रिया की सहायता के लिए होगा कि अंतरवर्ती मामलों का निपटारा बीच में कर दिया जाये।

स्पष्टीकरण – विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता।

Scanned with CamScanner

अनुमति प्रदान करता है |

3. <u>अंतरिम आदेश</u> – विचाराधीन न्याय का नियम न्यायालय की अंतरिम आदेश **जैसे** - स्थगन, व्यादेश, निर्णय से पूर्व कुर्की, रिसीवर की नियुक्ति आदि को पारित करने की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता | वास्तव में यह न्यायिक प्रक्रिया की सहायता के लिए होगा कि अंतरवर्ती मामलों का निपटारा बीच में कर दिया जाये |

स्पष्टीकरण – विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता |

<u>प्रांग न्याय और विचाराधीन न्याय में अंतर</u> –

1. धारा 10 उन मामलो में लागू होता है जहां वाद लंबित है जबकि **धारा 11** वहां लागू होता है जहां वाद निर्णीत हो चुका हो |

2. धारा 10 वाद दाखिल करने से नहीं रोकती, केवल वाद के विचारण को रोकती है जबकि **धारा 11** वाद दाखिल करने से रोकती है

3. धारा 10 प्रक्रिया पर आधारित नियम है जबकि **धारा 11** विवंध के सिद्धांत पर आधारित नियम है |

4. धारा 10 केवल वादों के सन्दर्भ में लागू होती है जबकि **धारा 11** में वाद एवं विवाद्यक दोनों पर लागू होती है |

स्पष्टीकरण – विदेशी वाद में किसी वाद का लंबन भारतीय न्यायालय को प्रवारित नहीं करेगा |

Scanned with CamScanner